न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 35/2018 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. उग्गम पुत्री स्व0 श्री धर्मा पत्नी जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गढी बंजारी तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
2. किरण पुत्री स्व0 धर्मा पत्नी महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गढी बंजारी तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट

बनाम

1. मंगलसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी मोती डूंगरी अलवर राज0।
2. श्रीमती रंजना देवी पत्नी स्व0 प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जमालपुर तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

..... असल प्रतिवादी/ रेस्पोडेन्ट

3. बलवीर सिंह पुत्र स्व0 धर्मा जाति राजपूत निवासी ग्राम जमालपुर तहसील मालाखेडा।
4. प्रहलाद सिंह पुत्र स्व0 धर्मा जाति राजपूत निवासी ग्राम जमालपुर तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।
5. कबूलदेवी पुत्री स्व0 धर्मा पत्नी मगनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गढ मण्डावर तहसील मण्डावर जिला अलवर राज0।
6. लक्ष्मणसिंह पुत्र सांवतसिंह माता स्व0 भैरी नवास धर्मा जाति राजपूत निवासी ग्राम दौठाना तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।
7. दौलतसिंह पुत्र सांवतसिंह माता स्व0 भैरी नवास धर्मा जाति राजपूत निवासी ग्राम दौठाना तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।
8. सज्जनसिंह पुत्र जतना उर्फ जतनसिंह जाति राजपूत निवासी जमालपुर तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

SL
राजस्व अपील अधिकारी
अलवर–24127

.....तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1.श्री निरंजन लाल चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2.श्री अशोक कुमार मुदगल, अभिभाषक असल रेस्पो0 संख्या 02 ।
3.श्री विशम्भर दयाल गुप्ता, अभिभाषक तरतीबी रेस्पो0 संख्या 08।

::: निर्णय ::: दिनांक :–22.11.2019

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 23.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मिन अपीलांट ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश अलवर के समक्ष एक राजस्व वाद मय प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक खसरा नंबर 243 मिन रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 693 रकबा 0.74 है0 व 693/1175 रकबा 0.54 है0 व 693/1176 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0 में स्थित है। अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 8 के पूर्वज श्री जतना उर्फ जतनसिंह राजपूत पुत्र भैरूसिंह के वंशज हैं। पूर्वज श्री जतना के दो लडके सज्जनसिंह तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 व धर्मा हुये।धर्मा फौत हो चुके हैं जिनके दो लडके बलवीर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 व प्रहलाद सिंह तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 व चार लडकियां उग्गम वादी संख्या 1, वादी संख्या 2 कबूलदेवी व तरतीबी प्रतिवादी 5 व भौरी पैदा हुई। भौरी फौत हो चुकी है जिसके वारिसान तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 व 7 हैं।वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी सं0 3 लगायत 5 के दादा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के नानाजी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 के पिता जतना विवादित आराजी के काबिज काश्तकार रहे हैं।विवादित आराजीयात के पूर्वज जतना के जीवनकाल में एवं उनके मरने के बाद से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण निहित भाग के खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी संख्या 2 रंजना देवी ने प्रतिवादी संख्या 1 मंगलसिंह के साथ मिलकर कार्यकाश्त में बाधा डालने की कोशिश की और जाहिर किया कि उक्त आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर है। उक्त आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना हक व अधिकार काबिज कब्जा के बेचान प्रतिवादी संख्या 21 को जर्ये बयनामा दिनांक 29.10.2009 को कर दिया। कथित बयनामा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 8 के हक हकूकों के मुकाबले बातिल बेअसल व शून्य प्रभावी है। गलत इन्द्राज कायम रहने से वादीगण व प्रतिवादीगण के हक हकूकों पर विपरीत असर पडता है व ना पूर्ति होने वाली क्षति होती है। प्रतिवादी संख्या 1की सह पर प्रतिवादी संख्या 2 कथित बयनामा की आड में आराजी को बेचान करने पर आमादा है। तहत अदालत द्वारा ताफैसला दावा असल प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाये जाने की प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद बहस मिन

राजस्व अपील अधिकारी
अलवर–24127

अपीलांट का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.05.2018 को खारिज फरमा दिया गया।जिस निर्णय दिनांक 23.05.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया तथा दावे के तथ्यों का हवाला दिया । साथ ही विवादित आराजी का विवरण दिया । विवादित आराजी खसरा नंबर 243 मिन रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 693 रकबा 0.74 है0 व 693/1175 रकबा 0.54 है0 व 693/1176 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0 में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड से श्री जतना उर्फ जतनसिंह का नाम जमाबंदी संवत 2016 के शिकमी 2 साल तथा संवत 2020 की जमाबंदी में जतना उर्फ जतनसिंह शिकमी 6 साल दर्ज होना पूरी तरह स्पष्ट था। कानूनन जागीरदारी बिस्वेदारी अधिनियम 1859 में लागू हुआ और इस दिन जो काबिज था उसी को खातेदार अधिकार प्राप्त हुये। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कानूनन स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। विवादित आराजी पर मिन अपीलांटान काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई मौका रिपोर्ट भी विवादित आराजी की बाबत् तलब नही की गई है। उपरोक्त तथाकथित बयनामा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून बिना कब्जा हस्तान्तरण कराये एवं बिना प्रतिफल के किया है। उक्त निर्णय की आड में रेस्पो0 मिन अपीलांट को आराजी से जबरन बेदखल करने की कोशिश में है इससे अपीलांट को भारी ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी। अतः असल रेस्पो0 को पाबंद फरमाया जाना एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना न्याय संगत है।

जबाव में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि जतनसिंह विवादित आराजी के काबिज काश्तकार नही रहे और जतना उर्फ जतनसिंह का नाम जमाबंदी संवत 2016 में शिकमी 2 साल व संवत 2020 में 6 साल गलत अंकन किया है क्यों कि उक्त आराजीयात श्री मंगलसिंह के कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी थी जिसे प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती रंजना सिंह ने उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की है। इंतकाल संख्या 525 से स्वीकार भी हो गया तभी से काबिज काश्त रहकर चले आ रहे हैं। उक्त आराजी से जतना व उनके वारिसान का तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 08 सज्जनसिंह का किसी भी तरह का कोई संबंध व सरोकार नही रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 भारतीय सेना में कार्यरत था तथा दिनांक 30.09.1986 को विंग कमाण्डर के पद से सेवानिवृत हुआ है।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भारतीय सेना में सर्विस करने वाले व्यक्ति की आराजी पर ना तो किसी का कब्जा होता है और ना ही उसकी आराजीयात पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि पर निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है।अपीलांट द्वारा उक्त अपील गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की है। अतः उक्त अपील को खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
अलवर-24127

हमने अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहत न्यायालय के आदेश दि0 23.05.2018 का अवलोकन किया ।

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रथम दृष्टया कब्जा देखना होता है जो कि दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित हो।खतौनी बंदोबस्त संवत 2014 में विवादित आराजी को खुदकाश्त की आराजीयात माना गया है व इसके आधार पर ही विवादग्रस्त आराजीयात रेस्पो0 की खातेदारी में आई है। भूमि का बेचान रिकॉर्डेड खातेदार द्वारा किया जाकर कब्जा केता रेस्पो0 को संभला दिया है जो रजिस्टर्ड बयनामा से साबित होता है। विवादित आराजीयात संवत 2014 में खुदकाश्त की होने से कब्जा काश्त रेस्पो0 का ही साबित होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (एफ) के अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 भारतीय सेना में होने के कारण उसकी आराजी पर ना तो किसी का कब्जा होता है और ना ही उसकी आराजीयात पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। जिससे यह धारणा है कि कब्जा रेस्पो0 संख्या 1 का ही है। शिकमी काश्तकार के क्या अधिकार होंगे, यह तथ्य केवल दावा में तय किये जायेंगे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर का आदेश दि0 23.05.2018 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/11/19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर

राजस्व अपील अधिकारी
अलवर-24127